...ालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...संख्या:– 201/2012 निर्णय दिनांक :–05.03.2021

...नी दावा :

तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज्य सरकार प्रतिनिधी)

–वादी–

बनाम

दुर्गेश नन्दन पुत्र श्री भंवरलाल तेली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–
पेरोकार सरकार
अधिवक्ता वादीगण

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद अन्तर्गम 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी राज्य सरकार का प्रतिनिधी एवं लेण्ड होल्डर (भूमि धारक) होने से वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। वादी लेण्ड होल्डर होने से वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण आराजी भूमि खसरा नम्बर 5481/4325 रकबा 0.32 है0 ग्राम देवलीगांव तह. देवली के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उक्त आराजी को कृषि कार्य के लिये अधिकृत है। प्रतिवादी/ प्रतिवादीगण उक्त आराजी को कृषि प्रयोजनार्थ के अलावा अन्य व्यवसायिक, औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ कार्य में लेने के लिये अधिकृत नहीं है। प्रतिवादी/ प्रतिवादीगण ने उक्त राजस्व खातेदारी आराजीयात को कृषि कार्य के लिये उपयोग न कर टीन शेड, कमरे का निर्माण एवं विद्यालय संबंधित कार्य के रेत व अन्य व्यवसायिक कार्य के लिए उक्त आराजी में टीन शेड , कमरे का निर्माण आदि लगा रखा है। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उक्त आराजी का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ न करके व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोग/उपभोग कर रहै है जिसका प्रतिवादी को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को केवल कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग/उपभोग में ले सकते है। प्रतिवादी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजीयात को कृषि कार्य के बजाये व्यवसायिक कार्य उपयोग/उपभोग में लेने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 177 के अन्तर्गत नियम व शर्तो का उल्लंघन किया है। इस कारण प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाना न्यायहीत में समाप्त किया जाना आवश्यक है। वादी ने राजस्व गांव के पटवारी हल्का से उक्त आराजीयात की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 21.08.2012 को प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को नोटिस दिया गया कि उक्त आराजीयात में बजरी के ढेर को तुरन्त हटावें अन्यथा आपके खिलाफ नियमानुसार

तेदारी समाप्त करने की कानूनी कार्यवाही की जावेगी, परन्तु प्रतिवादी/प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी में टिन शेड कमरो का निर्माण के कारण वाद प्रतिवादी/प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त आराजीयात तहसील देवली जिला टोंक में होने से प्रस्तुत वाद का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद कारण दिनांक..... को उत्पन्न हुआ जब वादी द्वारा प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से टीन शेड कमरो का निर्माण बाबत् नोटिस दिया गया कि उक्त बजरी के ढेर को तुरन्त हटाये अन्यथा आपके खिलाफ नियमानुसार खातेदारी समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परन्तु प्रतिवादी ने उक्त आराजी से टीन शेड कमरो का निर्माण के कारण यह वाद प्रतिवादी/प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय में पेश किया है। वाद कारण दिनांक.....को उत्पन्न हुआ तब वादी द्वारा प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से टीन शेड, कमरो का निर्माण बाबत नोटिस दिये गये परन्तु उसके बावजूद प्रतिवादी/प्रतिवादीगण भूमि से बजरी के ढेर नहीं हटाये ।तब से लगातार उत्पन्न हो रहा है। वादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि व लैण्ड हॉल्डर होने से नियमानुसार बिना कोर्ट फीस के वाद मियाद अंदर प्रस्तुत है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी/प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 5421/4325 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक की खातेदारी अधिकार समाप्त किया जावे व भूमि सिवायचक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी की ओर से श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—वाद का चरण नं. 1 स्वीकार है। वाद का चरण नं. 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वाद का चरण नं. 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वाद का चरण नं. 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि उक्त आराजीयात की मौका रिपोर्ट सही ढंग से नहीं बनाई गई है। वाद का चरण नं. 5, 6, 7 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः वादी की अधियाचना गलत है, अस्वीकार है। वादी ने वाद वर्णित आराजीयात को व्यवसायिक भू परिवर्तन हेतु पेराफेरी के तहत नगरपालिका मण्डल देवली जिला टोंक में दिनांक 03.09.2012 से पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं भू रूपान्तरण हेतु नगरपालिका देवली में आवेदन शुल्क के रूप में 16,000/—रूपये भी रसीद संख्या 8890 दिनंक 03.09.2012 को नगरपालिका कोष में जमा करवा दिया है एवं वर्तमान में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र भू उपयोग/ नियमन हेतु नगरपालिका देवली में विचाराधीन है। प्रतिवादी ने नगरपालिका देवली में आराजी खसरा नम्बर 5481/4325 रकबा 0.32 है0 भूमि पर भू उपयोग परिवर्तन हेतु धारा 90 बी के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। इसलिए अब श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः जवाब वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जे—खर्चे डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा बयान/गवाह पटवारी श्री सीताराम राणा देवलीगांव पेश किये।

साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

प्रतिवादी ने साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 पेश किया।

पत्रावली प्रतिवादी जिरह में नियत की गई।

प्रतिवादी साक्ष्य के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी जिरह बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

वादी की ओर से पेरोकार सरकार ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादी क्लीन हैंड से न्यायालय में आया है। वर्तमान में भी वाद वर्णित आराजी पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है जबकि अकृषि कार्य हो रहा है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार व अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2070–73 का खसरा नम्बर 5481/4325 रकबा 0.32 है0 राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। तहसीलदार देवली ने अपने वाद के समर्थन में बयान पटवारी देवलीगांव के अलावा अन्य ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है न ही प्रतिवादी को दिये सम्मन की प्रति पेश की है। तहसीलदार देवली ने अपने वाद के चरण 3 में लिखा है प्रतिवादी उक्त वर्णित आराजी को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहा है जबकि चरण नं. 3 में बजरी के ढेर के लिए लिखा है। उक्त दोनो तथ्य विरोधाभासी है जिससे प्रतीत होता है कि तहसीलदार देवली ने वाद को संजिदगी से पेश नहीं किया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब ब साक्ष्य में बताया है कि उक्त आराजी को व्यसायिक भू परिवर्तन हेतु पेराफेरी के तहत नगरपालिका मण्डल देवली में दिनांक 03.09.12 से पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं भू रूपान्तरण शुल्क के रू॰ में 16 हजार रूपये भी रसीद संख्या 8940 दिनांक 03.09.12 को नगरपालिका कोष में जमा करवा दिया था। उक्त का विवेचन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार देवली द्वारा अन्य कोई साक्ष्य नहीं कराये गये है और न ही अन्य कोई दस्तावेज सबूत पेश किये है और साथ ही विरोधाभाषी तथ्य पेश किये है। जिससे जाहिर है कि तहसीलदार देवली उक्त वाद के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः वाद की प्रभावी पैरवी नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी) .....मुकाम

अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

वानी दावा :

तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज्य सरकार प्रतिनिधी)

बनाम

दुर्गेश नन्दन पुत्र श्री भंवरलाल तेली निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक

–प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गम 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं. 201 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी पेरोकार सरकार वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री प्रकाश चन्द जैन प्रतिवादी मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाद की प्रभावी पैरवी नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।